भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3311

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

टीओटी के माध्यम से राजमार्गों का मौद्रीकरण

3311. श्री सुदामा प्रसादः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) के माध्यम से राजमार्गों के मौद्रीकरण के माध्यम से 8353 करोड़ रुपये जुटाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्थैतिक परियोजना प्रदान किए जाने के कारण राजमार्ग निर्माण की गति का धीमा होना स्वीकार किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान निर्माण हेतु कुल कितने किलोमीटर राजमार्गों का आवंटन किया गया और राजमार्गों को पूरा करने की दर की तुलना का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) एनएचएआई द्वारा राजमार्ग मौद्रीकरण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का टीओटी मोड के तहत, विशेष रूप से वित्त वर्ष 2019-24 के दौरान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) निधियों का किस प्रकार उपयोग किया गया है और तत्संबंधी विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने सौंपी गई राजमार्ग परियोजनाओं का ठेका देने के संबंध में कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आज तक) के लिए टीओटी मोड के माध्यम से 6,661 करोड़ रुपये की निधि जुटाई है। इसके अतिरिक्त, टीओटी-15 के तहत परियोजनाओं के लिए बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सौंपे गए और निर्मित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विवरण इस प्रकार है:

सौंपा गया/निर्माण	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
सौंपा गया (किमी)	**8,948**	**10,964**	**12,731**	**12,376**	**8,581**
निर्माण (किमी)	**10,237**	**13,327**	**10,457**	**10,331**	**12,349**

(घ) वित्तीय वर्ष 2019-2020 से वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक परिसंपत्ति मौद्रीकरण विधि (मोड) के माध्यम से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

मोड	राजस्व (करोड़ रु. में)
टीओटी	**42334**
इनविट	**25900**
प्रतिभूतिकरण	**45800**
जोड़	**114034**

(ड.) टीओटी मोड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में अंतरित कर दिया जाता है**,** जो बजटीय सहायता के तहत पुनर्निवेश (प्लो बैक) के माध्यम से प्राप्त होती है। इनविट मोड से प्राप्त निधि का उपयोग ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है। केवल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास लिमिटेड (डीएमईडीएल) के लिए प्रतिभूतिकरण के माध्यम से निधियां जुटाई गई हैं और जुटाई गई निधियों का उपयोग परियोजना उद्देश्य के लिए किया गया है।

(च) पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की तैयारी**,** परियोजना कॉरिडोर में और उसके आसपास संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श सहित सर्वेक्षण**,** जांच**,** प्राथमिक और सहायक डेटा आदि संचालित करने के बाद सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का एक अभिन्न अंग है।

*****